मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर महानगर, लखनऊ–226006

संख्या–टीएस–सीसीटीएनएस–65–2012 दिनांकः नवम्बर १५, 2018

सेवा में,

मुख्य शासकीय अधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, लखनऊ।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 में दिनांक 30.10.2018 को यह निर्णय पारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से यह अपेक्षा की गयी है कि वह एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित कर क्रियान्वित करायें जिसमें जनपदीय न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली केस डायरी एवं अन्य साक्ष्यों की टाइप की गयी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित न्यायालय में भेजी जाए। यह व्यवस्था विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। स्वहस्तलेख में लिखित केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामान्यतया अपठनीय होते हैं।

2– ज्ञातव्य हो कि इस संदर्भ में वर्ष 2013 से उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर सीसीटीएनएस योजना प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के सभी 1533 थानों में उक्त सीसीटीएनएस व्यवस्था लागू कर दी गई है एवं सभी थानों के पर्यवेक्षक अधिकारियों को समुचित हार्डवेयर प्रदान कर दिए गए हैं। सभी थानों पर कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त हैं, जो सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत 01 से 24 तक विभिन्न प्रकार के फार्म को भरते हैं एवं थाने के सीसीटीएनएस से सम्बन्धित अन्य कार्य भी करते हैं।

जी0डी0, प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी, बरामदगी एवं आरोप पत्र व अन्तिम रिपोर्ट सीसीटीएनएस योजना की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था (कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर) के माध्यम से अपलोड हो रहे हैं एवं उनका कम्प्यूटर जनित प्रिंट आउट माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

उपरोक्त व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए बजट की आवश्यकता होगी परन्तु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का यथासम्भव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्था की जाती है :–

(1) सभी विवेचकों को प्रथम चरण में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, एससी/एसटी एक्ट, दहेज हत्या एवं बलात्कार के अपराधों की केस डायरी सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थानों पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के अनुसंधान माड्यूल से कराए जाने का आदेश पारित किया गया है।

(2) सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विवेचकों को भी एक समयबद्ध कार्य–योजना बनाकर कम्प्यूटर पर टाइप करने का जनपद स्तर पर पूर्व से स्थापित जनपद प्रशिक्षण केन्द्र (DTC) में प्रशिक्षण देकर उन्हें भी इस कार्य में दक्ष कराया जा रहा है।

(3) जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा प्रत्येक अपराध गोष्ठी/आदेश कक्ष (O.R.) में इसकी समीक्षा करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं।

(4) सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचना सम्बन्धी कार्यो के लिए एक विवेचक मोबाइल एप्प (IO App) विकसित किया जा रहा है जो 06 माह में क्रियान्वित हो जाएगा।

(5) मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र एवं बरामदगी प्रपत्र भरने एवं नक्शा नजरी व अन्य फोटो लेने के लिए इस वर्ष 4 करोड की धनराशि से करीब 1100 मोबाइल डाटा टर्मिनल (MDT) डिवाइस खरीदे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जा चुका है।

(6) जनपद गाजीपुर में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था द्वारा जारी की जा रही है। ऐसी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है।

(7) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों एवं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर टाइपिंग की अर्हता परीक्षा नियत करने के लिए पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण लखनऊ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

(8) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पठनीय रिपोर्ट के लिए अलग से सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत एफएसएल मॉडयूल विकसित कर लिया गया है जो वर्तमान में कार्य कर रहा है तथा इससे उ0प्र0 की चारों विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ जुड़ी हुई हैं।

(9) समस्त क्षेत्राधिकारियों को उक्त कार्य हेतु अपने–अपने सर्किल का नोडल आफिसर बनाया गया है।

14/11

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें,उ0प्र0
लखनऊ।

Court No. - 13

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

Applicant :- Ravi
Opposite Party :- State Of U.P.
Counsel for Applicant :- Atul Verma,Akhilendra Pratap Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Attau Rahman Masoodi,J.

Sri Sujaanveer Singh, Director General Prosecution, U.P. is present in person.

The difficulty noticed in the present case is with respect to the transcription of case diary by the Investigating Officers in an illegible manner. The case diaries are largely indecipherable and illegible. Once the case diary in such a form is filed in the criminal proceedings, the courts due to the very form of document placed on record face difficulty in comprehending and evaluating the truth and the proceedings are thus delayed. There is every likelihood of inconsistency creeping in when the very material collected by the Investigating Officers in their handwriting is scribbled and cramped and on asking to be made legible by the prosecution or defence, the discrepancy may become quite obvious.

The investigation is a primary duty of the investigating agency, therefore, legible and correct copies of the material collected during the course of investigation inclusive of the medical reports are bound to be filed by the investigating officers so as to project a clear picture of the prosecution case in order to maintain transparency. It is suggested by the Officer present in the Court that if a certified true typed copy of the case diary and evidences is filed at the stage of filing the charge sheet, it would serve the purpose of law. However, for implementing such a mechanism, it is informed that the Director General of Police is competent to issue necessary circulars or guidelines in this behalf.

In these circumstances, it is directed that the Director General of Police be present in the court

to suggest as to the manner in which such a difficulty can be handled. Issuance of necessary circular in this regard may also be considered by the Director General of Police so that necessary mechanism to serve the purpose of law is put in place. The direction if carried out can be apprised through some responsible officer on the date fixed.

List this case on 15.11.2018. On the date fixed, the Director General of Police or any responsible officer on his behalf shall be present before this Court to assist on the issue and apprise.

Order Date :- 30.10.2018
Shahnaz

P.M. NO.- 657/2018

DATE- 01-11-2018

शासनादेश संख्या 2955/पाँच-9-2011-31(1)/2012 दिनांक 11 जनवरी, 2012 का संलग्नक

(Form No---- 384---)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिये मृत्यु पश्चात शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र (Post-mortem Examination Report Form for Uttar Pradesh State)

संस्था का नाम- POST MORTEM HOUSE, GHAZIPUR.

दिनांक - 01-11-2018

समय - 03:20 PM.

शव विच्छेदन आख्या संख्या (Post-mortem Examination Report No.)- 657/2018.

शव विच्छेदन परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम-

1. DR.ASHISH RAI एवम् तैनाती का स्थान- CHC.MOHAMMDABAD,GHAZIPUR.

शव को प्राप्त करने का समय- 02:30 PM एवम् दिनांक- 01-11-2018 अन्वेषण प्रपत्रों की संख्या- (09) सहित शव विच्छेदन परीक्षण को प्रारम्भ करने का समय- 02:40 PM एवम् दिनांक- 01-11-2018 शव विच्छेदन परीक्षण को पूरा करने का समय- 03:20 PM अन्वेषण हेतु (अन्वेषण आख्या के अनुसार) शव के परीक्षण का दिनांक--- 01-11-2018

शव परीक्षण की वीडियो रिकार्डिंग करने वाले व्यक्ति का नाम एवम् पता- NA.

प्रकरण का विवरण

1. मृतक का नाम (सम्बन्धित प्रपत्रों या पुलिस अभिलेख के अनुसार)- NAND KUMAR DUBEY.
   पुत्र/पुत्री/पत्नी- S/O LAT PRADUMMAN DUBEY.
   पता- VILL-MAINPUR, PS-KARANDA, DISTRICT- GHAZIPUR.
   उम्र (लिखित)- 42. वर्ष   लिंग पुरुष/महिला/अन्य- MALE.
2. शव लाने वाले एवम् पहचान कराने वाले पुलिस कर्मी का नाम एवम् पद-
   1) C.P.-ANUP NAYAK. 162300046 का॰ अनुप नायक
   2) H.G.-JAIPRAKASH DUBEY. 725 जयप्रकाश दुबे
   थाना- FROM P.S.-KARANDA , DISTRICT- GHAZIPUR.
3. पहचान/शिनाख्त कराने वाला (सम्बन्धियों/व्यक्तियों का नाम एवम् पता)
   1) AJAY KUMAR SINGH S/O LATE JAGDISH NARAYAN SINGH,RO-MAINPUR, PS-KARANDA,DISTRICT- GHAZIPUR.
   2) PARAS NATH DUBEY S/O LATE CHANDRAMA DUBEY,RO- MAINPUR, PS-KARANDA DISTRICT- GHAZIPUR.

अस्पताल से प्राप्त शवों के प्रकरण में (अस्पताल के अभिलेखों के अनुसार विवरण) अस्पताल में भर्ती होने का दिनांक- NA. एवम् समय- NA. अस्पताल की केन्द्रीय पंजीकरण संख्या-, तथा उपचार सारांश- NA.

निरीक्षण का सूची पत्र

(क)--सामान्य

1. लम्बाई- 162 (से.मी.)   2. वजन- NA. किलोग्राम
3. शारीरिक स्थिति
   (अ) पुष्ट/मध्यम/मोटी- AVERAGE BODY BUILT MALE , BOTH EYES AND MOUTH CLOSED, RM PRESENT UPPER EXTRIMITES AND APERING IN LOWER EXTRIMITIES.
   (आ) अच्छी काठी/औसत काठी/दुर्बल काठी/क्षीण काया- AVERAGE BODY BUILT MALE.
4. पहचान के चिन्ह (यदि शव अज्ञात है तो संलग्न प्रपत्र भरें)
   i)- NA.
   ii) अलग पृष्ठ पर अंगुलियों के निशान-- NA.
5. पहने हुए वस्त्रों का विवरण--महत्वपूर्ण आकृति/प्रकार- HALF T.SHIRT 1,BANIYAN 1,LUNGI 1,UNDERWEAR 1.
6. शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन (Post-mortem Changes)
   अ) अन्वेषण के समय की स्थिति (As seen during Inquest)-
   मृत्यु पश्चात अकड़न की उपस्थिति- RM PRESENT UPPER EXTRIMITES AND APERING IN LOWER EXTRIMITIES.
   तापमान (रेक्टल)- NA.
   विघटन से हुए एवम् अन्य परिवर्तन- NA.
   आ) शव विच्छेदन परीक्षण के समय की स्थिति- NA.
7. अ) बाह्य सामान्य दिखावट (External General Appearance)- AVERAGE BODY BUILT FEMALE.
   आ) नेत्रों, मुखगुहा, जीभ तथा नाखूनों की दशा- NA
   इ) प्राकृतिक द्वार (Natural Orifices) -- NAD.

(ख). बाह्य चोटें -- (Antemortem Injuries):-

1. ELECTRIC BURN ENTRY SIZE 3CMX2CM RT HAND PARMAR ASPECT ON INDEX FINGER MID PORATION.
2. ELECTRIC BURN EXIT SIZE 4CMX2CM LT FOOT GREAT TOE BELOW NAIL

Ashish Rai

MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

प्रत्येक चोट की लम्बाई X चौड़ाई X गहराई, आकार तथा प्रकार एवं महत्वपूर्ण शारीरिक सीमा चिन्हों से सम्बन्ध / दूरी का उल्लेख करें। चोटों के चारों अथवा मुख्यी चोटें तथा मुख्य चोटों की आकृति का उल्लेख करें। सभी चोटों का फोटोग्राफ, अलग-अलग संख्या सहित तथा गर्दन पर फंदे के निशान की दोनों कान के निचले हिस्से से दूरी तथा ठुड्डी से दूरी स्केल के द्वारा नापते हुए फोटोग्राफ लें, फन्दे के निशान समय ही कटे हुए भाग का भी फोटोग्राफ अवश्य लें।

निर्देश :- (Instructions)

1. चोटों का उल्लेख क्रम संख्या सहित करें तथा संलग्न रेखा चित्र में दर्शायें।
2. भोंके हुए घाव (Stab Injuries) में घाव की दिशा और शरीर के अन्दर दिशा का उल्लेख करें।
3. सभी घावों में अन्दर के अंग जैसे रक्त वाहिकायें, तंत्रिकायें तथा धमनियों के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
4. आग्नेयास्त्र की चोटों में गोली के भीतर जाने तथा बाहर निकलने के घाव में सामंजस्य तथा शरीर में गोली के रास्ते (Channel) एवं दिशा का मापन में उल्लेख करें, तथा पहले एक्सरे/फोटोग्राफ ले लिए जायें।

(ग) आन्तरिक परीक्षण :-

1. सिर (Head) –
   1- खोपड़ी आवरण (Scalp) – **NAD.**
   2- करोटि (Skull) (चोटों की दशा का वर्णन करें तथा संलग्न शरीर के रेखा चित्र में दर्शायें)- **NAD.**
   3- झिल्लियाँ, झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी (रक्तस्राव एवं इसकी स्थिति, असामान्य गंध आदि का भी उल्लेख करें)- **CONGESTED.**
   4- मस्तिष्क (Brain) की दशा – **CONGESTED.** एवं वजन – **1000.** ग्राम
   5- भीतर नासिका तथा कर्णगुहा-दशा– **NAD.**
2. ग्रीवा (Neck) –
   1. मुख, जीभ तथा ग्रसनी (Mouth, Tongue and Pharynx) – **NAD.**
   2. दांत– **16/16.**
   3. कण्ठ नली तथा स्वर ग्रन्थि – **NAD.**
   4. ग्रीवा के आन्तरिक ऊतकों की स्थिति – **NAD.**
   5. थायरॉयड तथा अन्य उपास्थियों की स्थिति – **NAD.**
   6. श्वास नली (Trachea) – **NAD.**
   7. हायड अस्थि (Hyoid Bone) – **NAD.**
3. छाती (Chest) –
   1. पसलियाँ तथा भित्तियाँ (Ribs and Chest wall) – **NAD.**
   2. निगल (Esophagus) – **NAD.**
   3. श्वासनली तथा वायु प्रणाली के शाखायें (Trachea and Bronchial Tree) – **NAD.**
   4. परिफुफ्फुस (Pleura) – **CONGESTED.**
   5. परिफुफ्फुस गुहा (Pleural Cavities) – **NAD**
   6. फेफड़े की स्थिति (Lung findings) – **CONGESTED.** तथा वजन दाहिना **380.** ग्राम व बांया **370.** ग्राम
   7. पेरीकार्ड तथा परिहृद झिल्ली (Pericardium and Pericardial Sac.) – **CONGESTED.**
   8. हृदय स्थिति (Heart findings) – **RIGHT SIDE FULL & LEFT SIDE EMPTY.** तथा वजन (And Wt.)- **240.** ग्राम
   9. बड़ी रक्तवाहिनियां (Large Blood Vessels) – **NAD.**
4. उदर (Abdomen) –
   1- उदरभित्ति की दशा (Condition of Abdominal wall) – **AS NOTED.**
   2- उदरच्छद और उदरच्छद गुहा (Peritoneum and Peritoneal cavity) – **NAD.**
   3- आमाशय (भित्ति की दशा, अन्तर्वस्तुएं और गन्ध) Stomach (Wall condition, contents and smell) – **DIGESTED FOOD.**
   4- छोटी आंत अपेन्डिक्स सहित (Small intestine including Appendix) – **LIQUID & GASES.**
   5- बड़ी आंत मेसेन्ट्रिक वाहिनी सहित (Large intestines and mesenteric vessels) – **FAECAL MATTER & GASES PRESENT.**
   6- यकृत (Liver) – **CONGESTED.** (वजन – **1000.** ग्राम)
   7- पित्ताशय (Gall Bladder) – **HALF-FULL.**
   8- प्लीहा (Spleen) – **CONGESTED.** (वजन- **80.** ग्राम)
   9- अग्न्याशय (Pancreas) – **NAD.**
   10- गुर्दे दशा (Kidneys finding) – **CONGESTED.**, और वजन दाहिना -80, ग्राम और बांया - 80, ग्राम
   11- मूत्राशय और मूत्रवाहिनी (Urinary Bladder and Urethra) – **EMPTY.**
   12- वस्तिगुहा के ऊतक (Pelvic Cavity Tissues) – **NAD.**
   13- वस्तिप्रदेश की अस्थियां (Pelvic Bones) – **NAD.**
   14- जननांग (Genital Organs) – **NAD**

   (योनि, अण्डकोष, बाह्य पदार्थ की उपस्थिति, भ्रूण, वीर्य या किसी अन्य तरल पदार्थ की उपस्थिति तथा जननांगों के अन्दर और आसपास नील निशान और खरोंच की उपस्थिति का उल्लेख करें)
   योनि / गर्भाशय / गुदा / मुख से नमूना एकत्र करना चाहिए तथा लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण में अंगुलियों के नाखून से उतकों का नमूना और रक्त का स्वाब लें।
5. रीढ़ की अस्थि तथा मेरुरज्जु (वहीं खोलिए जहाँ आवश्यक हो) (Spinal Column And Spinal Cord) (To be Opened where indicated) – **NOT OPEN.**
6. जहां सम्भव हो, आमाशय की अन्तर्वस्तुओं की दशा से निकाला गया। मृत्यु का सम्भावित समय तथा अन्तिम भोजन या विस्तृत विवरण, अन्य विशेष विवरण सहित :–

अभिमत :–

1. मृत्यु का सम्भावित समय (Time since death) **ABOUT HALF DAYS.**
2. मृत्यु का कारण और प्रकार – **SHOCK AS RESULT OF ANTEMORTEM ELECTRIC BURN INJURY (ELECTROCUTION).**

(अ) तात्कालिक कारण (Immediate Cause) – **SHOCK.**
(आ) कारण से (Due to) – **ANTEMORTEM ELECTRIC BURN INJURY(ELECTROCUTION).**
(इ) चोटों में कौन सी चोट मृत्यु पूर्व / मृत्यु पश्चात् की है तथा अवधि यदि मृत्यु पूर्व की चोट है- **ANTEMORTEM INJURIES AS NOTED.**
(ई) चोटों के कारित होने की रीति तथा स्वयं कारित की गयी है। हाँ / ना – **NO.**
(उ) क्या चोटें (एकल या सम्मिलित) स्वाभाविक रूप से विकसित होने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। – **YES.**
(ऊ) लक्षणों के प्रारम्भ होने का सम्भावित समय (केवल विष के प्रकरण में) – **NA.**
(ए) कोई अन्य (Any other) – **NIL.**

नमूना एकत्र किया और अग्रसारित किया (कृपया सही का निशान लगायें) (SPECIMENS COLLECTED AND HANDED OVER) (Please Tick) ____________
(अ) विसरा (आमाशय अन्तर्वस्तु सहित, छोटी आंत अन्तर्वस्तु सहित, यकृत का नमूना, गुर्दा (प्रत्येक का आधा), प्लीहा, सम्पीत में रखा गया हिस्टोपैथोलॉजी।
(आ) वस्त्र।
(इ) फोटोग्राफ (हिरासत मृत्यु के प्रकरण में वीडियो कैसेट), फिंगरप्रिंट इत्यादि।

Ashish Rai
MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

बाहय पदार्थ (जैसे बुलेट, छर्रा इत्यादि)।

(ड) अज्ञात शवों के प्रकरण में डी०एन०ए० मिलान हेतु नमूना।

(ढ) अज्ञात शवों के प्रकरण में दोनों नमूना एकत्र करें।

(ण) सील का नमूना।

(त) अन्वेषण प्रपत्र (कुल संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्येक को हस्ताक्षरित करें) (Inquest Papers) (Mention Total Number and Initial them).

(थ) वीर्य, रक्त या किसी अन्य पदार्थ से बनी स्लाइडें (डी०एन०ए० मिलान के लिए योनि/गर्भाशय/गुदा/मुख से लिया गया नमूना, लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण में अंगुलियों के नाखूनों से लिया गया उसकी का नमूना और स्तन का स्वाब (स्वाब स्टेन नहीं करना चाहिए)

शव विच्छेदन परीक्षण आख्या की प्रथम प्रति (Post-mortem 1st Report) WITH 09 POLICE PAPERS DULY SIGNED BY ME SENT TO S.P. GHAZIPUR, 2nd P.M. REPORT SENT TO C.M.O. GHAZIPUR, 3rd P.M. REPORT तथा शव वस्त्र– AS NOTED ABOVE और अन्य– , SENT TO S.O.-KARANDA, GHAZIPUR. सील मुहर (संख्या P.M.- 657/2018) पुलिस आरक्षी को हस्तगत किया जिसका नाम- C.P.-ANUP NAYAK आरक्षी क्रमांक- H.G.-JAIPRAKASH थाना-KARANDA जिला- GHAZIPUR.

जिनके हस्ताक्षर यहाँ हैं। 162308046 का० अनुपनायक

चिकित्साधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर

Ashish Rai

DR. ASHISH KUMAR RAI.
(MO.N.-) 7704075202
CHC-MOHAMMDABAD,GHAZIPUR.

MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

क- मृतक का नाम- NAND KUMAR DUBEY.

ख- पुत्र/पुत्री/पत्नी- S/O-LATE PRADUMMAN DUBEY.

ग- पता- VILL- MAINPUR, PS-KARANDA, DISTRICT- GHAZIPUR

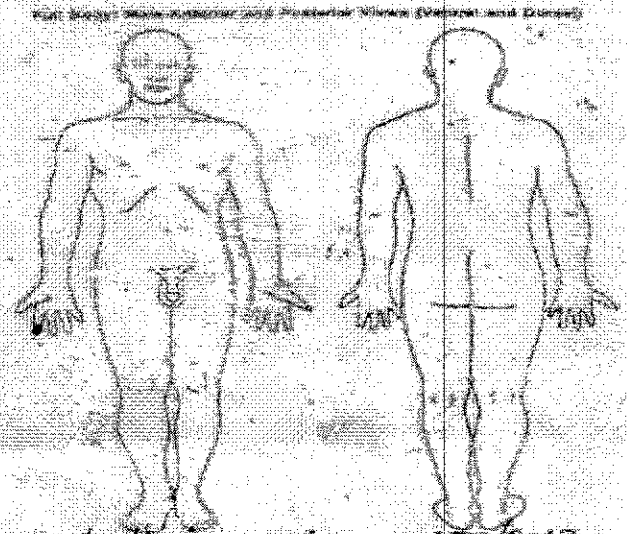

घ- उम्र- 42 वर्ष

Ashish Rai

MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1—तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांकः-टीएस -सीसीटीएनएस-65-2012 दिनांक:नवम्बर 14 ,2018

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण,
प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0,
<u>लखनऊ।</u>

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 में दिनांक 30.10.2018 को निर्णय पारित किया गया है (छाया प्रति संलग्न) जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से यह अपेक्षा की गयी है कि वह एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित कर क्रियान्वित करायें जिसमें जनपदीय न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली केस डायरी एवं अन्य साक्ष्यों की टाइप की गयी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित न्यायालय में भेजी जाए। यह व्यवस्था विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। स्वहस्तलेख में लिखित केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामान्यतया अपठनीय होते हैं।

2— ज्ञातव्य हो कि इस संदर्भ में वर्ष 2013 से उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर सीसीटीएनएस योजना प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के सभी 1533 थानों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है एवं सभी थानों के पर्यवेक्षक अधिकारियों को समुचित हार्डवेयर प्रदान कर दिए गए हैं।

3— अतएव पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों एवं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिसमें उनकी टाइपिंग गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, जिससे विवेचना के दौरान उनके द्वारा स्वयं अपने स्तर से केस डायरी एवं सम्बन्धित अभिलेख टाइप किए जा सके।

<u>संलग्नकः यथोपरि</u>।

14.11.18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः— अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

Court No. - 13

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

Applicant :- Ravi
Opposite Party :- State Of U.P.
Counsel for Applicant :- Atul Verma,Akhilendra Pratap Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Attau Rahman Masoodi,J.

Sri Sujaanveer Singh, Director General Prosecution, U.P. is present in person.

The difficulty noticed in the present case is with respect to the transcription of case diary by the Investigating Officers in an illegible manner. The case diaries are largely indecipherable and illegible. Once the case diary in such a form is filed in the criminal proceedings, the courts due to the very form of document placed on record face difficulty in comprehending and evaluating the truth and the proceedings are thus delayed. There is every likelihood of inconsistency creeping in when the very material collected by the Investigating Officers in their handwriting is scribbled and cramped and on asking to be made legible by the prosecution or defence the discrepancy may become quite obvious.

The investigation is a primary duty of the investigating agency, therefore legible and correct copies of the material collected during the course of investigation inclusive of the medical reports are bound to be filed by the investigating officers so as to project a clear picture of the prosecution case in order to maintain transparency. It is suggested by the Office present in the Court that if a certified true typed copy of the case diary and evidences is filed at the stage of filing the charge sheet, it would serve the purpose of law. However, for implementing such a mechanism, it is informed that the Director General of Police is competent to issue necessary circulars or guidelines in this behalf.

In these circumstances, it is directed that the Director General of Police be present in the court

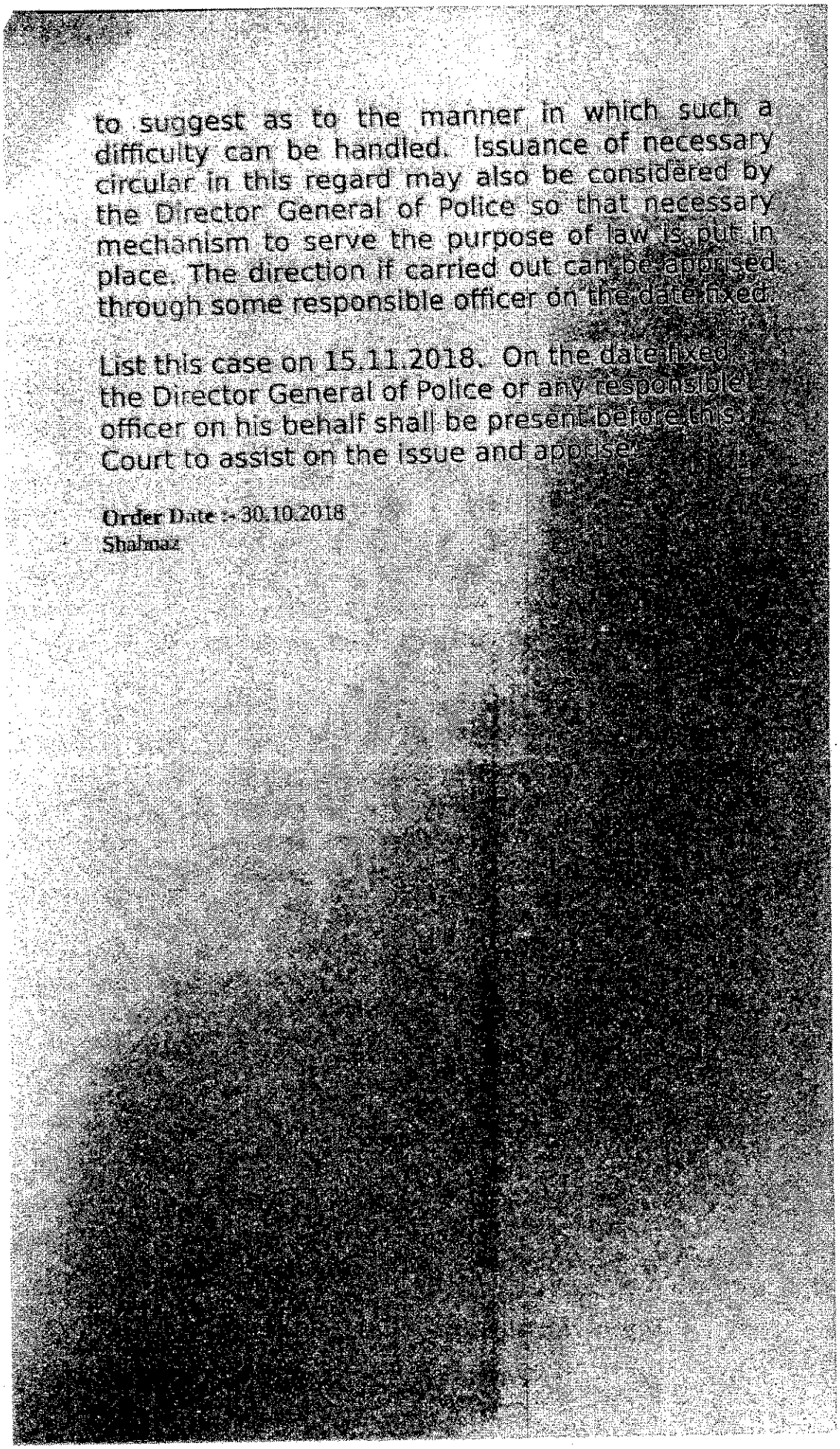

to suggest as to the manner in which such a difficulty can be handled. Issuance of necessary circular in this regard may also be considered by the Director General of Police so that necessary mechanism to serve the purpose of law is put in place. The direction if carried out can be apprised through some responsible officer on the date fixed.

List this case on 15.11.2018. On the date fixed the Director General of Police or any responsible officer on his behalf shall be present before this Court to assist on the issue and apprise.

Order Date :- 30.10.2018

Shahnaz

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:टीएस–सीसीटीएनएस–65–2012 **दिनांक:नवम्बर 14 ,2018**

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 में दिनांक 30.10.2018 को यह निर्णय पारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से यह अपेक्षा की गयी है कि वह एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित कर क्रियान्वित करायें जिसमें जनपदीय न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली केस डायरी एवं अन्य साक्ष्यों की टाइप की गयी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित न्यायालय में भेजी जाए। यह व्यवस्था विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। स्वहस्तलेख में लिखित केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामान्यतया अपठनीय होते हैं।

2– ज्ञातव्य हो कि इस संदर्भ में वर्ष 2013 से उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर सीसीटीएनएस योजना प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के सभी 1533 थानों में उक्त सीसीटीएनएस व्यवस्था लागू कर दी गई है एवं सभी थानों के पर्यवेक्षक अधिकारियों को समुचित हार्डवेयर प्रदान कर दिए गए हैं। सभी थानों पर कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त हैं, जो सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत 01 से 24 तक विभिन्न प्रकार के फार्म को भरते हैं एवं थाने के सीसीटीएनएस से सम्बन्धित अन्य कार्य भी करते हैं।

जी0डी0, प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी, बरामदगी एवं आरोप पत्र व अन्तिम रिपोर्ट सीसीटीएनएस योजना की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था (कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर) के माध्यम से अपलोड हो रहे हैं एवं उनका कम्प्यूटर जनित प्रिंट आउट माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

उपरोक्त व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए बजट की आवश्यकता होगी परन्तु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का यथासम्भव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाए–

(1) सभी विवेचकों को निर्देशित किया जाए कि प्रथम चरण में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, एससी/एसटी एक्ट, दहेज हत्या एवं बलात्कार के अपराधों की केस

डायरी सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थानों पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के अनुसंधान माड्यूल से करना सुनिश्चित करें।

(2) सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विवेचकों को भी एक समयबद्ध कार्य–योजना बनाकर कम्प्यूटर पर टाइप करने का जनपद स्तर पर पूर्व से स्थापित जनपद प्रशिक्षण केन्द्र (DTC) में प्रशिक्षण देकर उन्हें भी इस कार्य में दक्ष कराया जाए।

(3) जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा प्रत्येक अपराध गोष्ठी/आदेश कक्ष (O.R.) में इसकी समीक्षा की जाए।

(4) सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचना सम्बन्धी कार्यों के लिए एक विवेचक मोबाइल एप्प (IO App) विकसित किया जा रहा है जो 06 माह में क्रियान्वित हो जाएगा।

(5) मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र एवं बरामदगी प्रपत्र भरने एवं नक्शा नजरी व अन्य फोटो लेने के लिए इस वर्ष 4 करोड की धनराशि से करीब 1100 मोबाइल डाटा टर्मिनल (MDT) डिवाइस खरीदे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जा चुका है।

(6) जनपद गाजीपुर में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था द्वारा जारी की जा रही है। ऐसी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है।

(7) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों एवं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर टाइपिंग की अर्हता परीक्षा नियत करने के लिए पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

(8) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पठनीय रिपोर्ट के लिए अलग से सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत एफएसएल मॉडयूल विकसित कर लिया गया है जो वर्तमान में कार्य कर रहा है तथा इससे उ0प्र0 की चारों विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ जुड़ी हुई हैं।

उक्त योजना क्रियान्वित करने के लिए अपने–अपने सर्किल में क्षेत्राधिकारियों को नोडल आफिसर बनाया जाता है।

14.11.18

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Court No. - 13

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

Applicant :- Ravi
Opposite Party :- State Of U.P.
Counsel for Applicant :- Atul Verma,Akhilendra Pratap Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Attau Rahman Masoodi,J.

Sri Sujaanveer Singh, Director General Prosecution, U.P. is present in person.

The difficulty noticed in the present case is with respect to the transcription of case diary by the Investigating Officers in an illegible manner. The case diaries are largely indecipherable and illegible. Once the case diary in such a form is filed in the criminal proceedings, the courts due to the very form of document placed on record face difficulty in comprehending and evaluating the truth and the proceedings are thus delayed. There is every likelihood of inconsistency creeping in when the very material collected by the Investigating Officers in their handwriting is scribbled and cramped and on asking to be made legible by the prosecution or defence, the discrepancy may become quite obvious.

The investigation is a primary duty of the investigating agency, therefore, legible and correct copies of the material collected during the course of investigation inclusive of the medical reports are bound to be filed by the investigating officers so as to project a clear picture of the prosecution case in order to maintain transparency. It is suggested by the Officer present in the Court that if a certified true typed copy of the case diary and evidences is filed at the stage of filing the charge sheet, it would serve the purpose of law. However, for implementing such a mechanism, it is informed that the Director General of Police is competent to issue necessary circulars or guidelines in this behalf.

In these circumstances, it is directed that the Director General of Police be present in the court

to suggest as to the manner in which such a difficulty can be handled. Issuance of necessary circular in this regard may also be considered by the Director General of Police so that necessary mechanism to serve the purpose of law is put in place. The direction if carried out can be apprised through some responsible officer on the date fixed.

List this case on 15.11.2018. On the date fixed, the Director General of Police or any responsible officer on his behalf shall be present before this Court to assist on the issue and apprise.

Order Date :- 30.10.2018
Shahnaz

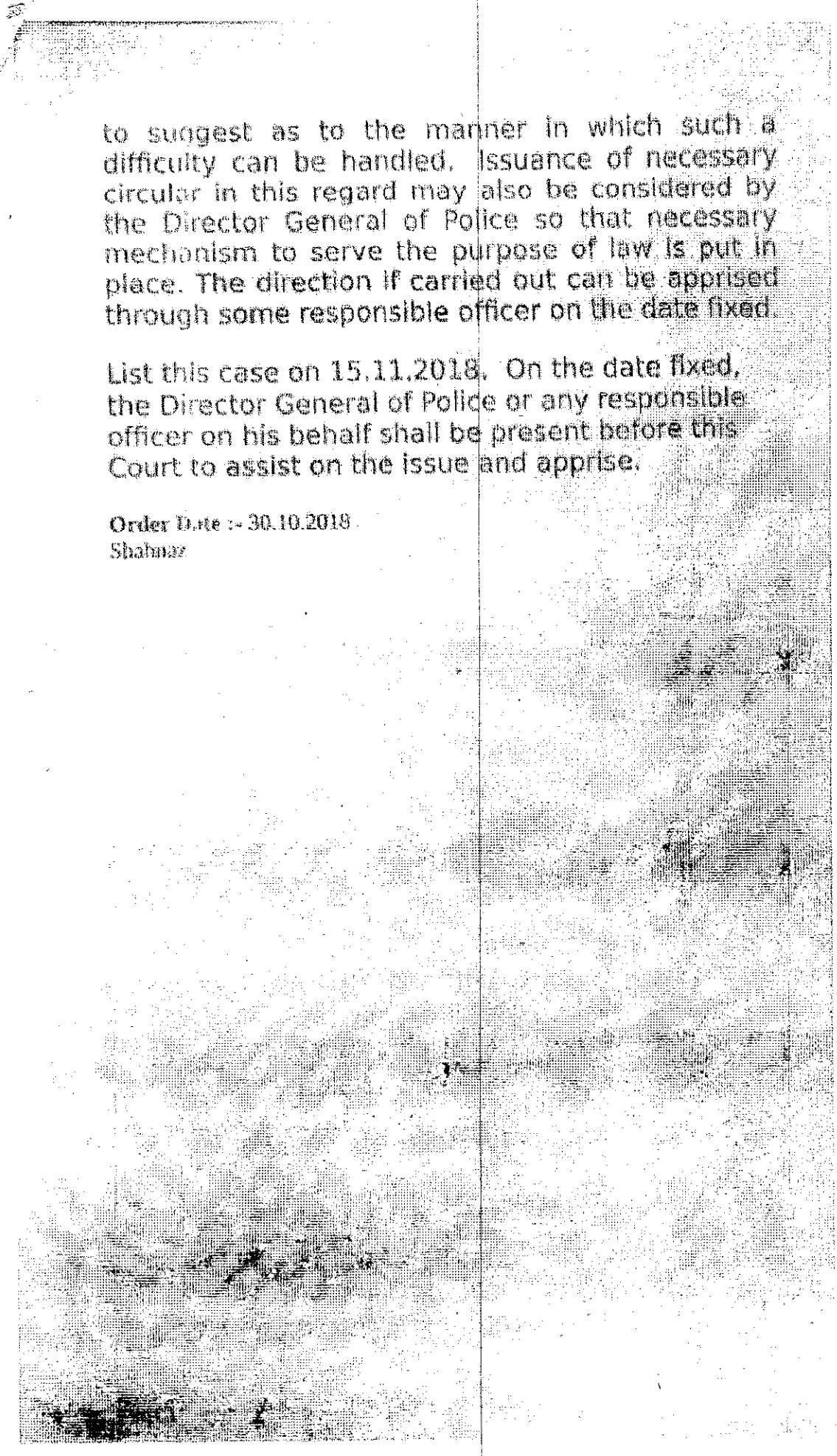

P.M. NO.- 657/2018 DATE- 01-11-2018

शासनादेश संख्या-2955/पांच-पु0-9-2011-31(1)/2012 दिनांक 11 जनवरी, 2012 का संलग्नक

(Form No---- 384---)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिये मृत्यु पश्चात शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र (Post-mortem Examination Report Form for Uttar Pradesh State)

स्थान का नाम- POST MORTEM HOUSE, GHAZIPUR. दिनांक -01-11-2018

शव विच्छेदन आख्या संख्या (Post-mortem Examination Report No.)- 657/2018. समय – 03:20 PM.

शव विच्छेदन परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम-

1. DR.ASHISH RAI एवम् तैनाती का स्थान-CHC,MOHAMMDABAD,GHAZIPUR.

शव को प्राप्त करने का समय- 02:30 PM एवम् दिनांक- 01-11-2018 अन्वेषण प्रपत्रों की संख्या- (09) सहित शव विच्छेदन परीक्षण को प्रारम्भ करने का समय-02:40 PM एवम् दिनांक- 01-11-2018 शव विच्छेदन परीक्षण को पूरा करने का समय- 03:20 PM अन्वेषण हेतु (अन्वेषण आख्या के अनुसार) शव के परीक्षण का दिनांक--01-11-2018

शव परीक्षण की वीडियो रिकार्डिंग करने वाले व्यक्ति का नाम एवम् पता- NA.

प्रकरण का विवरण

1. मृतक का नाम (सम्बन्धित कागजात या पुलिस अभिलेख के अनुसार)- NAND KUMAR DUBEY,
पुत्र/पुत्री/पत्नी- S/O-LAT PRADUMMAN DUBEY.
पता- VILL-MAINPUR, PS-KARANDA, DISTRICT- GHAZIPUR.
उम्र (लगभग)- 42, वर्ष लिंग पुरुष/महिला/अन्य- MALE.

2. शव लाने वाले एवम् पहचान कराने वाले पुलिस कर्मी का नाम एवम् पद—
1) C.P.-ANUP NAYAK. 162300046 कां0 अनूप नायक
2) H.G.-JAIPRAKASH DUBEY. 025 जयप्रकाश
थाना- FROM P.S.-KARANDA , DISTRICT- GHAZIPUR.

3. पहचान/शिनाख्त करने वाला (सम्बन्धियों/व्यक्तियों का नाम एवम् पता)
1)- AJAY KUMAR SINGH S/O LATE JAGDISH NARAYAN SINGH,RO-MAINPUR, PS-KARANDA,DISTRICT- GHAZIPUR.
2)- PARAS NATH DUBEY S/O LATE CHANDRAMA DUBEY,RO- MAINPUR. PS-KARANDA,DISTRICT- GHAZIPUR.

अस्पताल से प्राप्त शवों के प्रकरण में (अस्पताल के अभिलेखों के अनुसार विवरण) अस्पताल में भर्ती होने का दिनांक- NA. एवम् समय- NA.अस्पताल की केन्द्रीय पंजीकरण संख्या- , तथा उपचार सारांश- NA.

निरीक्षण का सूची पत्र

(क)—सामान्य

1. लम्बाई- 162. (से.मी.) 2. वजन- NA. किलोग्राम
3. शारीरिक गठन
(अ) छरहरा/मध्यम/मोटी- AVERAGE BODY BUILT MALE , BOTH EYES AND MOUTH CLOSED, RM PRESENT UPPER EXTRIMITES AND APERING IN LOWER EXTRIMITIES.
(आ) अच्छी काठी/औसत काठी/दुर्बल काठी/क्षीण काया- AVERAGE BODY BUILT MALE.
4. पहचान के चिह्न (यदि शव अज्ञात है तो संलग्न प्रपत्र को भरें)
i)- NA.
ii) अलग पृष्ठ पर अंगुलियों के निशान-- NA.
5. पहने हुए वस्त्रों का विवरण- महत्वपूर्ण आकृति/लक्षण- HALF T-SHIRT 1,BANIYAN 1,LUNGI 1,UNDERWEAR 1.
6. शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन (Post-mortem Changes)
अ) अन्वेषण के समय की स्थिति (As seen during Inquest)-
मृत्यु पश्चात अकड़न की उपस्थिति- RM PRESENT UPPER EXTRIMITES AND APERING IN LOWER EXTRIMITIES.
तापमान (रिक्टल)- NA.
विघटन से हुए स्थान् अन्य परिवर्तन- NA.
आ) शव विच्छेदन परीक्षण के समय की स्थिति- NA.
7. अ) बाह्य सामान्य दिखावट (External General Appearance)- AVERAGE BODY BUILT FEMALE.
आ) नेत्रों, मुखगुहा, जीभ तथा नाखूनों की दशा- NA
इ) प्राकृतिक द्वार (Natural Orifices) – NAD.

(ख). बाह्य चोटें – (Antemortem Injuries):-

1. ELECTRIC BURN ENTRY SIZE 3CMX2CM RT HAND PARMAR ASPECT ON INDEX FINGER MID PORATION.
2. ELECTRIC BURN EXIT SIZE 4CMX2CM LT FOOT GREAT TOE BELOW NAIL

Ashish Rai

MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

(प्रत्येक चोट की लम्बाई X चौड़ाई X गहराई, आकार तथा प्रकार एवम् महत्वपूर्ण शारीरिक चिन्ह से सम्बन्ध/दूरी का उल्लेख करें। खरोंच या नीली अथवा भूरी हो, एवम् पुरानी चोटों की आयु का उल्लेख करें) सभी चोटों का फोटोग्राफ, अलग-अलग संख्या सहित तथा मर्दन पर फंदे के निशान की दोनों कान के निचले हिस्से से दूरी, मृतक की पूरी शक्ल के साथ नापते हुए फोटोग्राफ लें, फंदे के निशान लगने से छूटे हुए भाग का भी फोटोग्राफ अवश्य लें।

निर्देश :— (Instructions)

1. चोटों का उल्लेख क्रम संख्या सहित करें तथा संलग्न रेखा चित्र में दर्शायें।
2. भोंके हुए घाव (Stab Injuries) में चोट की दिशा और शरीर के अन्दर दिशा का उल्लेख करें।
3. सभी मोहर में अन्दर के अंग जैसे रक्त वाहिनियां इत्यादि तथा उपांगों के अतिरिक्त शेष का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
4. आग्नेयास्त्र की चोटों में गोली के शरीर जाने तथा बाहर निकलने के घाव में सामंजस्य तथा शरीर में गोली के रास्ते (Channel) एवं दिशा के सम्बन्ध में उल्लेख लिखें, तथा एक्स रेडियोग्राफ भी लिए जायें।

(ग) आन्तरिक परीक्षण :—

1 सिर (Head) –

1- कर्परावरण (Scalp) – **NAD.**

2- खोपड़ी (Skull) (हड्डी की दशा का वर्णन करें तथा संलग्न शरीर के रेखा चित्र में दर्शायें)- **NAD.**

3- झिल्लियाँ, झिल्लियों के मध्य स्थित स्थान तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी (रक्तस्राव एवं इसकी स्थिति, असामान्य गंध आदि का भी उल्लेख करें)- **CONGESTED.**

4- मस्तिष्क (Brain) की दशा – **CONGESTED.** एवं वजन – **1000.** ग्राम

5- कोटर नासिका तथा कर्णगुहा-दशा– **NAD.**

2 ग्रीवा (Neck) –

1. मुख, जीभ तथा ग्रसनी (Mouth, Tongue and Pharynx) – **NAD.** 2. दांत– **16/16.** 3. कण्ठ नली तथा स्वर यन्त्र – **NAD.**

4. ग्रीवा के आन्तरिक ऊतकों की स्थिति – **NAD.** 5. थायरॉयड ग्रंथि अन्य ग्रन्थियों की स्थिति - **NAD.** 6. श्वास नली (Trachea) – **NAD.**

7. कण्ठक अस्थि (Hyoid Bone) - **NAD.**

3. छाती (Chest) –

1. पसलियाँ तथा भित्तियाँ (Ribs and Chest wall) – **NAD.** 2. ग्रसिका (Esophagus) – **NAD.**

3. श्वासनली तथा वायु प्रणाली के कोष्ठक (Trachea and Bronchial Tree) – **NAD.** 4. परिफुफ्फुस (Pleura) – **CONGESTED.**

5. परिफुफ्फुस गुहा (Pleural Cavities) – **NAD**

6. फेफड़े की स्थिति (Lung findings) – **CONGESTED.** तथा वजन दाहिना **390.** ग्राम व बांया **370.** ग्राम

7. परिहृद तथा परिहृद झिल्ली (Pericardium and Pericardial Sac.) – **CONGESTED.**

8. हृदय स्थिति (Heart findings) – **RIGHT SIDE FULL & LEFT SIDE EMPTY.** तथा वजन (And Wt.) - **240.** ग्राम.

9. बड़ी रक्तवाहिनियां (Large Blood Vessels) – **NAD.**

4 उदर (Abdomen) —

1- उदरभित्ति की दशा (Condition of Abdominal wall) – **AS NOTED.**

2- उदरच्छद और उदरच्छेद गुहा (Peritoneum and Peritoneal cavity) – **NAD.**

3- आमाशय (भित्ति की दशा, अन्तर्वस्तु और गन्ध) Stomach (Wall condition, contents and smell) – **DIGESTED FOOD.**

4- छोटी आंत अपेन्डिक्स सहित (Small Intestine including Appendix) – **LIQUID & GASES.**

5- बड़ी आंत मसेन्ट्रिक नाड़िनी सहित (Large Intestines and mesenteric vessels) – **FAECAL MATTER & GASES PRESENT.**

6- यकृत (Liver) – **CONGESTED.** (वजन - **1000.** ग्राम) 7- पित्ताशय (Gall Bladder) – **HALF-FULL.** 8- प्लीहा (Spleen) - **CONGESTED.** (वजन-**80.** ग्राम)

9- अग्न्याशय (Pancreas) – **NAD.** 10- गुर्दे दशा (Kidneys finding) – **CONGESTED** , और वजन दाहिना -80, ग्राम और बायां - 80, ग्राम

11- मूत्राशय और मूत्रवाहिनी (Urinary Bladder and Urathra) – **EMPTY.** 12- श्रोणिगुहा के ऊतक (Pelvic Cavity Tissues) – **NAD.**

13- श्रोणिप्रदेश की अस्थियां (Pelvic Bones) – **NAD.** 14- जननांग (Genital Organs) – **NAD**

(योनि, अण्डकोष, बाह्य पदार्थ की उपस्थिति, भ्रूण, वीर्य या किसी अन्य तरल पदार्थ की उपस्थिति तथा जननांगों के अन्दर और आसपास चोट निशान और खरोंच की उपस्थिति का उल्लेख करें)

योनि/गर्भाशय/गुदा/मुख से नमूना एकत्र करना चाहिए तथा लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण में अंगुलियों के नाखून से ऊतकों का नमूना और रक्त का नमूना लें।

5 रीढ़ की हड्डी तथा मेरुरज्जु (यहीं खोलिए जहाँ आवश्यक हो) (Spinal Column And Spinal Cord) (To be Opened where indicated) – **NOT OPEN.**

6. जहां सम्भव हो, आमाशय की अन्तर्वस्तुओं की दशा से निकाला गया। मृत्यु का सम्भावित समय तथा अन्तिम भोजन का विस्तृत विवरण, अन्य विशेष विवरण सहित :-

अभिमत :—

1 मृत्यु का सम्भावित समय (Time since death) **ABOUT HALF DAYS.**

2 मृत्यु का कारण और प्रकार – **SHOCK AS RESULT OF ANTEMORTEM ELECTRIC BURN INJURY (ELECTROCUTION).**

(अ) तात्कालिक कारण (Immediate Cause) – **SHOCK.**

(ब) वजह से (Due to) :– **ANTEMORTEM ELECTRIC BURN INJURY(ELECTROCUTION).**

(3) चोटों में कौन सी चोट मृत्यु पूर्व/मृत्यु पश्चात् की है तथा अवधि यदि मृत्यु पूर्व की चोट है? **ANTEMORTEM INJURIES AS NOTED.**

(4) चोटों के कारित होने की रीति तथा स्वयं कारित की गयी है? हाँ/ना – **NO**

(5) क्या चोटें (एकल या सम्मिलित) स्वाभाविक रूप से विकासित होने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं। – **YES.**

(6) लक्षणों के प्रारम्भ होने का सम्भावित समय (केवल विष के प्रकरण में) - **NA.**

(7) कोई अन्य (Any other) – **NIL.**

नमूना एकत्र किया और अग्रसारित किया (कृपया सही का निशान लगायें) (SPECIMENS COLLECTED AND HANDED OVER) (Please tick) ______

(अ) विसरा (आमाशय अन्तर्वस्तु सहित, छोटी आंत अन्तर्वस्तु सहित, यकृत का नमूना, गुर्दा (प्रत्येक का आधा), प्लीहा, उपयोग में लाया गया परिरक्षक।

(आ) वस्त्र।

(इ) फोटोग्राफ (हिरासत मृत्यु के प्रकरण में वीडियो कैसेट), फिंगरप्रिंट इत्यादि।

Ashish Rai
MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

वाह्य पदार्थ (जैसे बुलेट, छर्रा इत्यादि)।

(iv) अज्ञात शवों के प्रकरण में डीएनए मिलान हेतु नमूना।

(v) अज्ञात शवों के प्रकरण में दोनों नमूना एकत्र करें।

(vi) [illegible] का नमूना।

(vii) अन्वेषण प्रपत्र (कुल संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्येक को हस्ताक्षरित करें) (Inquest Papers) (Mention Total Number and Initial them)

(viii) योनि, वीर्य या किसी अन्य पदार्थ से बनी स्लाइडें (डीएनए मिलान के लिए योनि/गर्भाशय/गुदा/मुख से लिया गया नमूना, यौन उत्पीड़न के प्रकरण में अंगुलियों के नाखूनों से लिया गया, कपड़ों का नमूना और रक्त का स्वाब (इनको [illegible] नहीं करना चाहिए)

शव विच्छेदन परीक्षण आख्या की प्रथम प्रति (Post-mortem 1st Report) **WITH 09 POLICE PAPERS DULY SIGNED BY ME SENT TO S.P. GHAZIPUR, 2nd P.M. REPORT SENT TO C.M.O. GHAZIPUR, 3rd P.M. REPORT** तथा शव वस्त्र– **AS NOTED ABOVE,** और अन्य– , **SENT TO S.O.-KARANDA, GHAZIPUR.** सील बन्द (संख्या P.M.- 657/2018) पुलिस आरक्षी को हस्तगत किया जिसका नाम- **C.P.-ANUP NAYAK** आरक्षी क्रमांक- **H.G.-JAIPRAKASH** थाना-**KARANDA** जिला- **GHAZIPUR.**

जिनके हस्ताक्षर यहाँ हैं। 112300046 का० अनूप नायक

चिकित्साधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर

Ashish Rai

DR. ASHISH KUMAR RAI,
(MO.N.-) 7704075202
CHC-MOHAMMDABAD,GHAZIPUR,
MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR

मृतक का नाम- **NAND KUMAR DUBEY.**

पुत्र/पुत्री/पत्नी-**S/O-LATE PRADUMMAN DUBEY.**

पता- **VILL- MAINPUR, PS-KARANDA, DISTRICT- GHAZIPUR**

उम्र- **42,** वर्ष

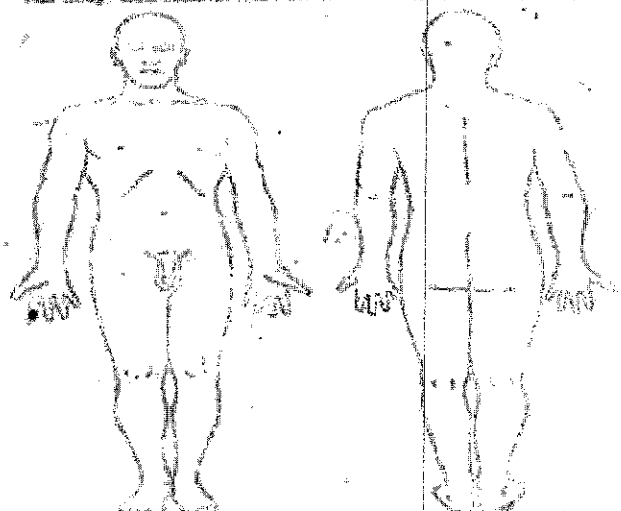

Name Nand Kumar Dubey 657/2018
Date 02/11/18

Ashish Rai

MEDICAL OFFICER
POSTMORTEM HOUSE
GHAZIPUR